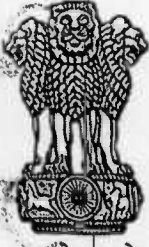


5158



सत्यमेव जयते

26/2/19

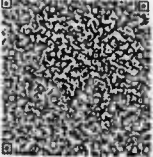
SIMMI PANDEY
Executive
SHCIL-AGRA

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP05862198894826R
Certificate Issued Date : 30-Mar-2019 12:09 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ AGRA1/ UP-ACN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0106988808325583R
Purchased by : BHAWNA BUILDHOME PVT LTD
Description of Document : Article 40 Mortgage Deed
Property Description : PLOT NO. 7,8,9,10,11,12,18 AND 25 AT PART OF KHASRA NO.20 MAUZA DEHTORA AGRA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : BHAWNA BUILDHOME PVT LTD
Second Party : AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By : BHAWNA BUILDHOME PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,99,500
(Three Lakh Ninety Nine Thousand Five Hundred only)



Please write or type below this line



TQ 0011514856

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilstamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



14/1/22

आन्तरिक विकास कार्यो के सापेक्ष में बंधक पत्र

विकासकर्ता का नाम—भावना बिल्डहोम प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर
श्री भगत सिंह बघेल

पिता का नाम— स्व० श्री प्रेम चन्द बघेल

पता.— जवाहर नगर, बाईपास रोड, आगरा

प्रथम पक्ष.....

तथा

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
सतीश शर्मा,

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

BT 999282

1. यह कि उपरोक्त आवेदकों द्वारा खसरा 20(P) मौजा-दहतोरा पर एक विन्यास मानचित्र के नाम से स्वीकृति हेतु आगरा विकास प्राधिकरण जयपुर हाउस आगरा में प्रस्तुत है।
2. यह कि विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण कराने के मद में आवेदक से उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 संख्या-1811/8-3-14-2011 विविध/13 लखनऊ दिनांक 17.11.2014 की अधिसूचना की बाबत आन्तरिक विकास के सापेक्ष में 20 प्रतिशत भूमि बंधक के रूप में सांगी गयी है। जिसको कि प्रथमपक्षगण लेआऊट के भूखण्ड संख्या-7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 25 भूखण्ड रकबा 940 वर्गमीटर बंधक रखे जाने के लिये तैयार है।
3. यह कि प्रथमपक्षगण द्वारा जैस-जैसे आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण कराया जाता रहेगा उसी के सापेक्ष में विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक विकास कार्य के मद में बंधक रखे भूखण्डों को पंजीकृत खण्डन पत्र द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।

प्रथम पक्ष

अधिकृत हस्ताक्षरी

आगरा विकास प्राधिकरण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

BT 999283

यह कि विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक विकास कार्य के मद में रखे बंधक भूखण्डों को जब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा। तब तक प्रथम पक्षगण उक्त भूखण्डों का विक्रय आदि नहीं कर सकेंगे और नही उक्त भूखण्डों पर कोई निर्माण कार्य कर सकेंगे।

4. यह कि प्रथमपक्षगण द्वारा आन्तरिक विकास कार्यों को पूर्ण नहीं कराया जाता है तो प्राधिकरण को हक होगा कि आन्तरिक विकास कार्यों के मद में रखे बंधक भूखण्डों को विक्रय/नीलाम करके आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कराये।
5. यह कि प्रथमपक्षगण को 20(P) मौजा-दहतोरा, आगरा का आन्तरिक विकास कार्य विकास प्राधिकरण के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध के अनुरूप करने के लिये बाध्य है।
6. यह कि उक्त बन्ध पत्र में भूखण्ड के स्वामित्व का स्थानान्तरण नहीं हो रहा है किन्तु भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्य कराये जाने हेतु बंधक किये गये है।

प्रथम पक्ष

अधिकृत हस्ताक्षरी

आगरा विकास प्राधिकरण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 999284

(4)

आन्तरिक विकास कार्य तद समय पर यदि द्वितीय पक्ष कराता हे तो भविष्य में में आन्तरिक कार्यो की धनराशि बढ़ती है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा की धनराशि प्रथम पक्ष से वसूल करें।

7. यह कि स्टाम्प सरकार को मुवलिंग 1,59,80,000.00 रुपये की मालीयत/कीमत पर ढाई प्रतिशत स्टाम्प 3,80,700.00 रुपया का अदा किया जा रहा है। भूखण्डो का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। सभी भूखण्ड 9 मीटर रोड पर स्थित है।

प्रथम पक्ष

अधिकृत हस्ताक्षरी
आगरा विकास प्राधिकरण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

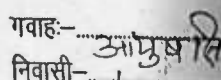
(5)

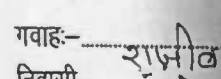
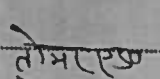
BT 999285

अतः यह बन्धक पत्र वाद सुनने व समझने व जुमला मजमून के पढ़ने के बाद खूब सोच व समझ कर विला खाये पिये किसी मादक वस्तु के व विला दवाव नाजायज के स्वस्थ चित्त मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की ठीक दशा में लिख दिया कि सनद रहे ओर वक्त जरूरत के काम आवे तहरीर तारीख..... व..... ने व इकरार प्रथमपक्षगण एवम् द्वितीयपक्ष के कथानुसार खुद कम्प्यूटर से टाइप किया


प्रथम पक्ष


अधिकृत हस्ताक्षरी
आगरा विकास प्राधिकरण

गवाह:- 
निवासी- 
13713 जवाहर नगर वाडिपारोड खदारी आगरा

गवाह:- 
निवासी- 
कालेक्ट्रेट आगरा